

पत्र संख्या-विधि-2-(1)-केन्द्रीय बिक्रीकर अधि०/नियम-145/(2010-2011)/81/10/1007/ वाणिज्य कर,  
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(विधि अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ:: अप्रैल 22, 2010


समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:-** केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा-8 (3)(बी) में किये गये संशोधन के फलस्वरूप  
केन्द्रीय बिक्रीकर (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियम-1957 के नियम-13 में संशोधन।

अवर सचिव, सेल्स टैक्स सेक्शन, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली के पत्र संख्या- F.No.29012/3/2010- SO (ST) दिनांक 12-4-2010 द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा-8 (3)(बी) में किये गये संशोधन के फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्रीकर (रजिस्ट्रीकरण एवं आवर्त) नियम-1957 के नियम-13 में संशोधन से सम्बन्धित G.S.R. No.183 (E)दिनांक 11-3-2010 के अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-1/2010-C S T F.No.29012/3/2010-SO (ST) तथा G.S.R.No.206 (E) दिनांक 23-3-2010 के अन्तर्गत प्रकाशित शुद्धि पत्र संख्या-2/2010-C S T F.No.S 29012/3/2010- SO (ST) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त विज्ञप्ति एवं शुद्धि पत्र को इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इनकी पर्याप्त प्रतियां कराकर अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुये किये गये संशोधन के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा विभिन्न व्यापारिक संघों / अधिवक्ता संघों को अवगत कराते हुये इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:- यथोपरि।**

  
(वाई०एस०सिंह)

ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।


पू०पू०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र०
- (5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, 30प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (6) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०/वि०अनु०शा०/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।

- (11) प्रबन्धक,इसेटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
- (15) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य0गाजियाबाद ।
- (16) ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (17) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियों में ।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों ।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ ।
- (21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
- (24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसाफा लखनऊ।
- (25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)के माध्यम से ।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (33) शिव कुमार अरोडा,एडवोकेट ,महा सचिव,उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली जिला मुजफ्फरनगर
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
- (41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0टूक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल,उर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0(रजि0)52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र माल, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूं, यू0पी0 ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी0एन0शुकला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।



(एल0जे0मिश्र)

डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ ।

F.No.29012/3/2010-SO(ST)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Sales Tax Section  
\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated 12<sup>th</sup> April 2010.

To ✓  
The Commissioner, VAT/ Commercial Tax/ Sales Tax of all States/ UTs

Subject: Amendment to rule 13 of Central sales Tax (Registration and Turn-over) Rules, 1957 consequent upon amendment to Section 8(3)(b) of the Central Sales Tax act, 1956.

Sir,

I am directed to say that section 8 (3) (b) of the Central sales tax, 1956 ( 74 of 1956) was amended on 11<sup>th</sup> May, 2002 through Finance Act, 2002 to include telecommunication network under the section. While section 8(3) (b) was amended in 2002, the corresponding changes in rule 13 of the CST (Registration & Turnover) Rules, 1957 were not made. The Rule 13 has now been amended to include the telecommunication network.

2. A copy of Notification No. 1/2010-CST F.No. S. 29012/3/2010-SO(ST) published under G.S.R. No. 183 (E) dated 11.03.2010 and Corrigendum No. 2/2010-CST F.No. S. 29012/3/2010-SO(ST) published under G.S.R. No. 206 (E) dated 23.03.2010 are sent herewith for your information and necessary action.

Encl: As above

Yours faithfully,



(R.G. Chhabra)

Under Secretary to the Govt. of India.

Tel. 23093068

Copy alongwith the Notification dated 11.03.2010 and Corrigendum dated 23.03.2010 referred to above forwarded to:-

- (i) The Secretary, Finance/Taxation of all States/UTs,
- (ii) Member Secretary, Empowered Committee of State Finance Ministers.



(R.G. Chhabra)

Under Secretary to the Govt. of India



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2010/फाल्गुन 20, 1931

No. 109]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2010/PHALGUNA 20, 1931

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2010

सा.का.नि. 183(अ).—केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं कारोबार) नियमावली, 1957 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं कारोबार) संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं कारोबार) नियमावली, 1957 में, नियम 13 में "बिक्री हेतु माल, या" शब्दों के बाद "दूरसंचार नेटवर्क में अधवा" शब्द जोड़े जाएंगे।

[सं. 01/2010-सीएसटी फा. सं. एस. 29012/3/2010-एसओ (एसटी)]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—दिनांक 28-2-1957 के का.नि.आ. 644 के तहत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं कारोबार) नियमावली, 1957 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित किया गया :—

(1) का.नि.आ. 3613, दिनांक 16 नवम्बर, 1957

(2) का.नि.आ. 896, दिनांक 23 सितम्बर, 1958

(3) का.नि.आ. 2817, दिनांक 4 नवम्बर, 1968

(4) सा.का.नि. 55(अ), दिनांक 9 फरवरी, 1973

(5) सा.का.नि. 56(अ), दिनांक 9 फरवरी, 1973

(6) सा.का.नि. 519(अ), दिनांक 13 दिसम्बर, 1973

(7) सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1974

(8) सा.का.नि. 597(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1975

(9) सा.का.नि. 962(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1976

(10) सा.का.नि. 762(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1977

(11) सा.का.नि. 603(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1978

(12) सा.का.नि. 640(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 1979

(13) सा.का.नि. 264(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 1984

(14) सा.का.नि. 395(अ), दिनांक 14 अप्रैल, 1987

(15) सा.का.नि. 504(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1993

(16) सा.का.नि. 483(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1998

(17) सा.का.नि. 695(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 1998

(18) सा.का.नि. 36(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2003

(19) सा.का.नि. 431(अ), दिनांक 23 मई, 2004

(20) सा.का.नि. 374(अ), दिनांक 7 जून, 2005

(21) सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2005

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2010

**G.S.R. 183(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, in rule 13, after the words “goods for sale, or”, the words “ in the telecommunications network or” shall be inserted.

[No. 01/2010-CST F. No. S. 29012/3/2010-SO (ST)]

R. G. CHHABRA, Under Secy.

**Foot Note :—**The Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.R.O. 644, dated 28th February, 1957 and have been subsequently amended *vide*, notification number,—

1. S.R.O. 3613, dated 16th November, 1957;
2. S.R.O. 896, dated 23rd September, 1958;

3. S.R.O. 2817, dated 4th November, 1968;
4. G.S.R. 55(E), dated 9th February, 1973;
5. G.S.R. 56(E), dated 9th February, 1973;
6. G.S.R. 519(E), dated 13th December, 1973;
7. G.S.R. 26(E), dated 1st February, 1974;
8. G.S.R. 597 (E), dated 30th December, 1975;
9. G.S.R. 962(E), dated 30th December, 1976;
10. G.S.R. 762(E), dated 17th December, 1977;
11. G.S.R. 603(E), dated 30th December, 1978;
12. G.S.R. 640(E), dated 23rd April, 1979;
13. G.S.R. 264(E), dated 1st April, 1984;
14. G.S.R. 395(E), dated 14th April, 1987;
15. G.S.R. 504(E), dated 30th September, 1993;
16. G.S.R. 483(E), dated 7th August, 1998;
17. G.S.R. 695(E), dated 20th November, 1998;
18. G.S.R. 36(E), dated 16th January, 2003;
19. G.S.R. 431(E), dated 23rd May, 2004;
20. G.S.R. 374(E), dated 7th June, 2005;
21. G.S.R. 469(E), dated 14th July, 2005;



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2010/चैत्र 2, 1932

No. 129]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2010/CHAITRA 2, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2010

सा.का.नि. 206(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 11-3-2010 का सा. का. नि. 183 (अ) की पाद टिप्पणी क्रम सं. 21, में निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाए :—

“22 सा. का. नि. 588 (अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2005”

[सं 02/2010-सी एस टी /फा सं एस-29012/3/2010-एसओ(एस टी)]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM.

New Delhi, the 23rd March, 2010

G.S.R. 206(E).— In G.S. R. 183 (E) dated 11-3-2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) in the Footnote after S. No. 21, following entry shall be inserted:—

“22. G.S. R. 588(E) Dated 16th September, 2005.”

[No. 02/2010-CST/F.No. S-29012/3/2010-SO (ST)]

R. G. CHHABRA, Under Secy.